भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1088

08 दिसम्बर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेदिक दवाओं की उत्पादकता

1088. श्री विजय कुमार दुबे:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में आयुर्वेदिक और अन्य भारतीय हर्बल औषधियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या रोडमैप तैयार किया/तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) उत्तर प्रदेश सहित देश में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी आयुष औषधियों की उत्पादकता संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कार्यान्वित किसी केन्द्रीय योजना के माध्यम से सरकार ने आयुष दवाओं/औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु किसी सुरक्षा और सतर्कता/निगरानी तंत्र को मजबूत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी औषधियों की गुणवत्ता के आकलन/मूल्यांकन तथा इनके प्रतिकूल प्रभावों की पहचान की प्रक्रिया क्या है; और

(ङ) आयुष औषधियों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन/वितरण के लिए तथा इनके अनुसंधान के दायरे को बढ़ाने तथा और गंभीर अनुसंधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): जैसा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1945 में विहित है, गुणवत्ता नियंत्रण और आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों के औषध लाइसेंस जारी करने से संबंधित कानूनी प्रावधानों का प्रवर्तन, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषध नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों में निहित है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 158-ख में आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी औषधियों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु विनियामक दिशा-निर्देशों का प्रावधान है। निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे सुरक्षा और प्रभावशीलता के प्रमाण के साथ विनिर्माण इकाइयों और दवाओं के लाइसेंस के लिए निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करें, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची-न के अनुसार उत्तम विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) और संबंधित भेषजसंहिता में दी गई दवाओं के गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करें।

उत्तर प्रदेश सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान आईएमपीसीएल के आयुर्वेदिक दवाओं के कारोबार का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**मूल्य**
2022-23	174.53 करोड़ रुपए
2021-22	230.15 करोड़ रुपए
2020-21	139.65 करोड़ रुपए

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, आयुष औषधियों की उत्पादकता और आयुर्वेद तथा अन्य भारतीय चिकित्सा उत्पादों/जड़ी-बूटियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया है।

(ग) और (घ): जी हां। वर्ष 2021 में, आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र योजना आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) लागू की है। इस योजना हेतु पांच वर्षों के लिए कुल वित्तीय आवंटन 122.00 करोड़ रुपये है। एओजीयूएसवाई योजना के घटक निम्नानुसार हैं -

क. उच्च मानक प्राप्त करने के लिए आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।
ख. भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी सहित एएसयू एंड एच दवाओं की भेषजसतर्कता।
ग. आयुष औषधियों के लिए तकनीकी मानव संसाधन और क्षमता वर्धन कार्यक्रमों सहित केन्द्रीय और राज्य विनियामक ढांचे का सुदृढ़ीकरण।
घ. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीआई) और अन्य संगत वैज्ञानिक संस्थानों और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों एवं सामग्रियों के मानकों के विकास और मान्यता/प्रमाणन के लिए सहायता। विस्तृत दिशानिर्देश https://ayush.gov.in/images/Schemes/aoushdhi.pdf. पर उपलब्ध हैं।

आयुष मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना (एओजीयूएसवाई योजना) के तहत, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) दवाओं हेतु भेषजसतर्कता कार्यक्रम स्थापित किया गया है। यह कार्यक्रम देशभर में स्थापित राष्ट्रीय भेषजसतर्कता केंद्र (एनपीवीसीसी), पांच मध्यवर्ती भेषजसतर्कता केंद्रों (आईपीवीसी) और 99 परिधीय भेषजसतर्कता केंद्रों (पीपीवीसी) के तीन-स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से काम कर रहा है। एएसयू एंड एच दवाओं के भेषजसतर्कता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य आयुष दवाओं पर सतर्कता रखना और भ्रामक विज्ञापनों की रिपोर्ट करना है। भेषजसतर्कता (एनपीवीसी, आईपीवीसी, पीपीवीसी) के तीन-स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से संदिग्ध प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं की नियमित रूप से सूचना दी जा रही है। 2018 से अब तक, ऐसे 1637 अलग-अलग मामलों में सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट, ऐसी प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की सूचना देने हेतु निर्दिष्ट प्रारूप में भेजी गई हैं।

साथ ही, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई देने वाले आपत्तिजनक विज्ञापनों की नियमित रूप से सूचना दी जाती है। 2018 से अब तक, ऐसे 32,527 भ्रामक विज्ञापनों की सूचना दी गई है। परिधीय केन्द्रों द्वारा सभी भ्रामक विज्ञापनों की सूचना नियमित अंतराल पर संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को दी जा रही है ताकि चूककर्ताओं के विरुद्ध संभावित कार्रवाई की जा सके।

अब तक, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के तहत, 35 दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, आयुर्वेदिक, सिद्ध तथा यूनानी औषधियों और कच्ची सामग्रियों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 160-क से ञ के उपबंधों के अंतर्गत 102 प्रयोगशालाओं को अनुमोदित किया गया है अथवा लाइसेंस दिया गया है।

(ङ): आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष औषधियों के गुणात्मक उत्पादन/वितरण के साथ-साथ उनके अनुसंधान के दायरे को व्यापक और गहन बनाने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं -

(i) आयुष मंत्रालय के अंतर्गत 05 अनुसंधान परिषदें, औषधीय पादप अनुसंधान (मेडिको-एथनो बॉटनिकल सर्वे, फार्माकोग्नोसी एंड टिशू कल्चर), औषधि मानकीकरण, फार्माकोलॉजिकल अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान एवं प्रलेखन तथा जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार्यक्रम जैसी गतिविधियों में लगी हुई हैं। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत 12 राष्ट्रीय संस्थान भी आयुष औषधियों पर विभिन्न अनुसंधान अध्ययन कर रहे हैं।

आयुष मंत्रालय ने आयुष के क्षेत्र में शिक्षा तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने और बहिर्वर्ती अनुसंधान द्वारा आयुष में अनुसंधान तथा नवाचार और शैक्षिक गतिविधियों, प्रशिक्षण, क्षमता वर्धन आदि द्वारा आयुष में शिक्षा हेतु सहायता देने के लिए आयुर्ज्ञान योजना भी कार्यान्वित की है। इसके अलावा, आयुर्स्वास्थ्य योजना के उत्कृष्टता केन्द्र घटक के अंतर्गत, अलग-अलग पात्र संगठनों/संस्थानों को आयुष में उनके कार्यों और सुविधाओं की स्थापना और उन्नयन और/अथवा अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 160 क से ञ में आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता और ताकत के ऐसे परीक्षण करने के लिए औषध परीक्षण प्रयोगशाला के अनुमोदन हेतु विनियामक दिशा-निर्देश दिए गए हैं जो इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत आयुर्वेदिक, सिद्ध तथा यूनानी औषधियां के विनिर्माण हेतु लाइसेंसधारक के लिए अपेक्षित होंते हैं। आज की स्थिति के अनुसार, 35 राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को उनके बुनियादी ढांचे और कार्यात्मक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, आयुर्वेदिक, सिद्ध तथा यूनानी औषधियों और कच्ची सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के प्रावधानों के अंतर्गत 102 प्रयोगशालाओं को अनुमोदित किया गया है अथवा लाइसेंस दिया गया है।

(iii) आयुष उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए, आयुष मंत्रालय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयुष उत्पादों के निम्नलिखित प्रमाणनों को प्रोत्साहित करता है:-

- डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के अनुसार हर्बल उत्पादों के लिए फार्मास्युटिकल उत्पाद प्रमाणन (सीओपीपी)।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन की स्थिति के अनुसार गुणवत्ता के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के आधार पर आयुर्वेदिक, सिद्ध तथा यूनानी उत्पादों को आयुष प्रीमियम मार्क प्रदान करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा गुणवत्ता प्रमाणन योजना लागू की गई है।

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार -

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 158-ख, नियम 161-ख और नियम 169 के अनुसार सुरक्षा अध्ययन, प्रभावशीलता और सततता अध्ययनों से संबंधित दस्तावेजों के प्रस्तुतकीरण के सत्यापन के पश्चात् पेटेंट और स्वामित्व वाली आयुष औषधियों के अनुमोदन के संबंध में तकनीकी विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया है।
- ओडिशा राज्य सरकार ने बोलांगीर, भुवनेश्वर और पुरी स्थित राज्य सरकारी फार्मेसियों में आयुर्वेदिक दवाओं के विनिर्माण के लिए निधियों का प्रावधान किया है। राज्य औषध परीक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशाला (आईएसएम), भुवनेश्वर औषधियों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए इन फार्मेसियों की इन-हाउस प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रही है।
- केरल राज्य ने दिनांक 01/08/2023 के आदेश संख्या जी.ओ.(पी) 291/2023/आयुष के अनुसार, राज्य में आयुर्वेद दवाओं के मानकीकरण का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। राज्य में अनुसंधान और विकास सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता है, और वर्तमान में, कोई भी सरकारी एजेंसियां आयुष दवाओं/उत्पादों के अनुसंधान और विकास में नहीं लगी हैं।

*****

संलग्नक

आयुर्वेद और अन्य भारतीय चिकित्सा उत्पादों/जड़ी-बूटियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण -

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम</th><th>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से प्राप्त सूचना</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>हरियाणा</td><td>औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत, बढ़े हुए एएसयू औषधि विनिर्माताओं को एएसयू औषधि विनिर्माण लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।
हरियाणा राज्य में 994 एएसयू दवा विनिर्माण इकाइयां हैं।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>हिमाचल प्रदेश</td><td>औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम/उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>केरल</td><td>कोल्लम जिला औषध निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड को एओजीयूएसवाई योजना के तहत 64.29 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>असम</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>महाराष्ट्र</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>पुद्दुचेरी</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>गुजरात</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>मध्य प्रदेश</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>गोवा</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>ओडिशा</td><td>आयुर्वेद और अन्य भारतीय चिकित्सा उत्पादों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस समय राज्य में बोलांगीर, भुवनेश्वर और पुरी स्थित 03 सरकारी आयुर्वेदिक दवा विनिर्माण इकाइयां कार्य कर रही हैं।
ओडिशा के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी आयुष औषधियों की उत्पादकता का ब्यौरा निम्नानुसार है-
<table>
<tr><th>वितीय वर्ष</th><th>चिकित्सा इकाई में आवंटन</th></tr>
<tr><td>2020-21</td><td>रु. 2,72,60,000/-</td></tr>
<tr><td>2021-22</td><td>रु. 2,72,60,000/-</td></tr>
<tr><td>2022-23</td><td>रु. 2,72,60,000/-</td></tr>
<tr><td>2023-24</td><td>रु. 7,67,60,000/-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>कर्नाटक</td><td>आयुर्वेदिक दवाओं की उत्पादकता का विवरण इस प्रकार है -
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>दवा की श्रेणी</th><th>उत्पादन की मात्रा (मीट्रिक प्रणाली में)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>अंजना/पिस्ती।</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>चूर्ण/नस्य मंजन/लेपा/क्वाथ चूर्ण</td><td>18883.06 टन</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>पिल्स/वटी/गुटिका/मतिराई और गोलियां</td><td>2374.89 टन</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>कुपीपकवा/क्षार/पारपति/लवण/भस्म/
सत्व/सिंधुरा/करपू/अप्पू/परम</td><td>274.17 टन</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		5.	काजल	1520000.00 टन
		6.	कैप्सूल	3575.00 टन
		7.	ओएंटमेंट/मरहम/पसाई	8814.95 टन
		8.	पाक/अवलेह/खांड/मोदक/लकायम	10867.86 टन
		9.	पानक, सीरप/प्रवाही क्वाथ मानपाकू	1612978.79 गैलन
		10.	आसव/अरिष्ठ	3695962.5 गैलन
		11.	सुरा	17079.78 गैलन
		12.	आर्क/तिनीर	18646.58 गैलन
		13.	तैल/घृत/नेय	1684979.96 गैलन
		14.	अश्साइटोन/नेत्र मलहम पनियर/कर्ण बिंदु/नसबिंदु	261303.54 गैलन
12.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश औषधीय और सुगंधित पादप बोर्ड द्वारा प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। कच्चे माल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 15 छोटी नर्सरियों के माध्यम से गुणवत्ता रोपण सामग्री (क्यूपीएम) का उत्पादन शुरू किया गया है। विभिन्न सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी) कार्यक्रमों के तहत गतिविधियां चलाकर किसानों को उत्तम कृषि पद्धतियों (जीएपी) से अवगत कराया जाएगा।		